माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी– 5190/2018/मंदसौर/भू.रा.

गोपाल पिता गोरखनाथ उम्र धंधा– निवासी– ग्राम खजूरी पंथ तहसील गरोठ जिला मंदसौर म0प्र ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– शिवनाथ पिता शंकरलाल योगी

2– योगेशनाथ पिता शिवनाथ योगी निवासीगण ग्राम खजूरी पंथ तहसील गरोठ जिला मंदसौर

3– सरपंच ग्राम पंचायत खजूरी पंथ तहसील गरोठ जिला मंदसौर

4– सचिव ग्राम पंचायत ग्राम खजूरी पंथ तहसील गरोठ जिला मंदसौर

............प्रतिप्रार्थीगण

विषय– माननीय न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण 1652/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 18/05/2018 विरूद्ध जिसके माध्यम से अपर कलेक्टर जिला मंदसौर के प्रकरण कंमाक 30/2015–2016 अपील एवं विज्ञप्ति पी–18/सी कंमाक 556/2 दिनांक 27/01/1959 को निरस्त किया है से दुखित होकर यह निगरानी का स्मरण लेख अंर्तगत धारा 50 म0प्र भू राजस्व संहिता क1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:–

भूमिका

1– यह कि प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मंदसौर के प्रकरण कमांक 30/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11/09/2017 में दर्ज प्रकरण के संक्षिप्त विवरण अनुसार प्रार्थी के पिता तथा प्रतिप्रार्थी कंमाक 1 के पितामह स्व शंकरलाल देवस्थान श्री अंबामाता मंदिर के सनातन से पुजारी नियुक्त रहे तथा उनकी मृत्यु होने के पश्चात् प्रार्थी का उक्त देवस्थान पर पुजारी के रूप में विधिवत नियुक्ति की गयी उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिप्रार्थी कंमाक 1 2 प 3 ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला मंदसौर म0प्र को प्रस्तुत की जो कि उभय पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के उपरांत गुण दोषों पर निरस्त की गयी। जिसकी द्वितीय अपील प्रतिप्रार्थी कंमाक 1 लगायत 3 द्वारा माननीय न्यायालय अपन आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जै के समक्ष प्रस्तुत की जो कि अपील कंमाक 1652/अ/2016–17 पर संस्थित हुयी उक्त अपील उपरोक्त न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18/05/2018 को स्वीकार करते हुये दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त किया गया है जिसकें असतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा

R- 5190/2018/मंदसौर/ पू.रा.

9/4/19 आवेदक अभि० श्री- संदेश पडियार- उप० / उनके द्वारा आवेदन पेश कर एवं आदेशपत्रिका के हाशिये में नोट प्रेस- लेख कर प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा बताया है कि यह प्रकरण धार्मिक कार्य होने से इस न्यायालय में चलेगा नहीं। प्रकरण नोटप्रेस किया। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

not pr s/- 9.4

सदस्य